न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 56/2016

जानू देवी पत्नी रामचन्द जाति नायक निवासी 16 पी.टी.डी. ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 75राज.भू—राजस्व.अधि. 1956

विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर
दिनांक 01.03.2008

उपस्थिति—

श्री विनोद गोदारा अभिभाषक अपीलांट

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 15.7.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने यह अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश कमांक एफ 12(3)(32)राजस्व/08/2384 दिनांक 01.03.2008 के विरूद्ध पेश की है। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपने उक्त आदेश में अंकित किया है कि उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर के पत्रांक राजस्व/925 दिनांक 12.12.07 से प्राप्त प्रस्तावानुसार चक 16 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 11 कि.नं. 1/0.228 है0 शमशान कि.नं. 2/0.253है0 हाडारोडी जो मौका पर चालू नहीं है को शमशान एवं हाडारोडी से निरस्त कर इसी मु.नं. 11 कि.नं. 5/0.253है0 राजकीय भूमि में राज. उपनिवेशन अधि. 1954 की 10 के अन्तर्गत शमशान के लिये आरक्षित की जाती है। कि.नं. 1/0.228 व 2/0.253 है0 रकबा राज दर्ज किये जाने के आदेश दिये एवं कि.नं. 5 में आने जाने के लिये मु.नं. 11 के कि.नं. 1/0.013, 2/0.013, 3/0.013, 4/0.13 कुल 0.052 है0 राजकीय भूमि में रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये।

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(A) अपीलांट ने उक्त आदेश से व्यतीत होकर यह अपील पेश की है। अपीलांट ने अपील के साथ दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र एवं धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(I) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायाल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। चक 16 पी टी डी ए के मु.नं. 11 के कि.नं. 5 का रकबा अन्य रकबा के साथ अपीलांट के कब्जा काश्त में गत 30–40 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है। अपीलांट ने रकबा पुख्ता आवंटन करवाने के लिए आवेदन पत्र भी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश कर रखा है। इस प्रकार अपीलांट हर प्रकार से प्रभावित पक्षकार थी। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुन पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल ने अपने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं कि बिना प्रभावित को बुलाये सुने पारित किया गया आदेश निरस्तनीय होगा। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि संशोधित आवंटन नियम में प्रावधान है कि सन् 2000 से निरंतर 5–7 साल से कब्जा होने पर कब्जाधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता। अपील के साथ प्रभावित पक्षकार होने के सम्बन्ध में धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है। इसके अलावा अपील देरी से पेश करने बाबत दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपीलांट का प्रभावित पक्षकार मानते हुए, अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे।

(II) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट इससे प्रभावित पक्षकार नहीं है एवं अपीलांट ने यह अपील लगभग 8 वर्ष बाद पेश की है। अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने पत्रावली व उपखण्ड अधिकारी रिपोर्ट व तहसीलदार रिपोर्ट तथा अधी. न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

(a) शमशान हेतु भूमि आरक्षण राजकीय सिवाय चक भूमि में किया गया है।

(b) अपीलांट को सुना जाना बाध्यकारी नहीं है। धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र निराधार है।

(c) अपीलांट का उद्देश्य भूमि का शमशान हेत आरक्षण निरस्त करवाने का क्या है? व वह किस प्रकार प्रभावित है स्पष्ट नहीं है, ना ही कोई आधार है। अधी. न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की गुंजाईस नहीं है। अपील निराधार होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.7.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)